<u>३०.१०.२०२१</u>

पत्रावली पेश हई। अभियुक्तगण रामसजीवन व मुसई की हाजिरी माफी दी गयी, जिसे आज हेतु स्वीकार किया जाता है। अभियुक्त होरीलाल व्यक्तिगत रूप से उपस्थित है। पत्रावली के अवलोकन से परिलक्षित होता है कि अभियुक्त राजू पटेल की मृत्यु आख्या प्रदर्श क–२ थाना खखरेरू से प्राप्त हो चुकी है, प्रदर्श क–३ अभियुक्त राजू पटेल उर्फ पपलू पुत्र रामसजीवन के मृत्यु प्रमाणपत्र की छायाप्रति तथा प्रदर्श क–४ ग्राम पंचायत आलमपुर गेरिया, खण्ड विकास कार्यालय धाता का प्रमाणपत्र को उपनिरीक्षण अनिरुद्ध कुमार दुबे सी०डब्लू०–१ द्वारा साबित किया गया है। परिणामतः अभियुक्त राजू पटेल के विरुद्ध प्रश्नगत फौजदारी वाद की कार्यवाही उपशमित की जाती है। साक्षी सोनम कुमारी जिसकी मुख्य परीक्षा जारी है, दिनांक २५.११.२०२१ को जरिए समन तलब हो।

अपर सत्र न्यायाधीश,
न्यायालय संख्या–१,
फतेहपुर।